भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3578
(मंगलवार, 24 मार्च, 2026 /3 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

सीपीएसयू द्वारा सीएसआर व्यय

3578 श्री प्रकाश चिक बाराईकः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा क्या है; और
(ख) उन कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है जिन पर सीएसआर निधि खर्च की गई है, जिसमें क्षेत्र, खर्च की गई राशि और उस क्षेत्र का आनुपातिक हिस्सा शामिल है?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय अनुलग्नक में है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सभी कंपनियों को वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित सीएसआर व्यय सहित अपनी वार्षिक फाइलिंग को 31 जनवरी, 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पूरा करने की अनुमति दी थी। कंपनियां अभी भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फाइल करने की प्रक्रिया में हैं। चूंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फाइल करने की तारीख अभी तक निर्धारित नहीं हुई है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पीएसयू द्वारा सीएसआर व्यय की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अनुलग्नक

दिनांक 24.03.2026 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3578 के भाग (क) और (ख) से संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1	कृषि वानिकी	3.47	0.65	0.70
2	पशु कल्याण	3.16	2.96	20.05
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	9.56	4.98	17.99
4	कला और संस्कृति	26.36	69.71	120.11
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	10.18	21.19	24.82
6	शिक्षा	825.93	669.72	884.13
7	पर्यावरणीय स्थिरता	275.58	265.67	243.96
8	लैंगिक समानता	1.28	3.02	2.91
9	स्वास्थ्य देखभाल	1,386.65	1,527.74	1,494.16
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	31.81	156.47	524.50
11	गरीबी, भुखमरी, कुपोषण का उन्मूलन	119.69	23.92	63.94
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	380.66	372.84	442.33
13	स्वच्छ पेयजल	33.58	39.91	127.53
14	स्वच्छता	142.77	226.41	105.13
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	7.32	5.40	3.26
16	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	1.71	6.10	5.20
17	अनाथालय की स्थापना	1.37	2.02	0.92
18	स्लम क्षेत्र विकास	36.23	2.21	4.83
19	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	14.40	20.55	9.59
20	विशेष शिक्षा	3.99	11.66	12.17
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.61	-	-
22	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	56.91	102.50	129.16
23	व्यावसायिक कौशल	142.33	142.97	169.40
24	महिला सशक्तिकरण	22.21	29.89	43.90
25	केंद्र सरकार के अन्य निधि	869.43	403.58	319.98
26	एनईसी/उल्लेख नहीं*	-	-	2.52
	कुल	4,407.17	4,112.08	4,773.17

(31.03.2025 तक की जानकारी) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का संकेत दिया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।
